

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-षष्ठम्, सुपौल

सत्रवाद संख्या- 220/2019

(जदिया थाना काण्ड संख्या- 38/1998, धारा- 396 भा०द०वि०)

राज्य

बनाम्

सुर्य नारायण यादव

क्र०सं० कार्यवाही के आदेश
की तिथि

न्यायालय के हस्ताक्षर के साथ आदेश

दिनांक के साथ
कार्यालय में कार्यवाही

1

2

3

4

20.05.2020

काराधीन अभियुक्त सुर्य नारायण यादव की ओर से दखिल जमानत आवेदन दिनांक 25.10.2019 पर सुनवाई हेतु अभिलेख उपस्थापित किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री नंद किशोर यादव Video Conferencing के द्वारा जमानत आवेदन को प्रचालित किये।

जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री नंद किशोर यादव निवेदन करते हैं कि प्रार्थी आवेदक पूर्व में न्यायालय द्वारा जमानत पर थे और दिनांक 14.02.2003 को उचित पैरवी नहीं रहने के कारण अभियुक्त का बंध-पत्र रद्द किया गया था। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 08.07.2019 से कारा में हैं तथा प्रार्थी अभियुक्त श्रीमान के आदेशानुसार सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं तथा वादा करता है कि जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थना है कि कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करते हुए उचित जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, जमानत का विरोध करते हैं।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी अभियुक्त प्रथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं तथा पूर्व में न्यायालय द्वारा जमानत पर था किन्तु दिनांक 14.02.2003 को उचित पैरवी नहीं रहने के कारण जमानत बंध-पत्र रद्द किया गया है तथा प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 08.07.2019 से कारा में हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त का जमानत 10,000/- के दो जमानतदारों के साथ बंध-पत्र दाखिल करने

पाठक अलोक कौशिक

अपर सत्र न्यायाधीश-षष्ठम्, सुपौल

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-षष्ठम्, सुपौल

सत्रवाद संख्या- 220/2019

(जदिया थाना काण्ड संख्या- 38/1998, धारा- 396 भा०द०वि०)

राज्य

बनाम्

सुर्य नारायण यादव

पर इस शर्त के साथ मुक्त किया जाता है कि अभियुक्त प्रत्येक तिथी को न्यायालय में उचित पैरवी करेंगे तथा दिनांक 31.07.2020 के बाद लगातार तीन तिथियों तक अनुपस्थित रहने पर न्यायालय बंध-पत्र रद्द करने के लिये स्वतंत्र होंगे और न्यायालय आदेश पर न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे और वाद के त्वरित निस्तारण में सहयोग करेंगे। दोनों जमानतदार इस न्यायमंडल के क्षेत्राधिकार के होंगे। कोरोना महामारी के कारण विद्वान अधिवक्ता शपथ पत्र कालांतर में दे सकते हैं।

लेखापित



पाठक अलोक कौशिक

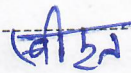
अपर सत्र न्यायाधीश-षष्ठम्, सुपौल

लगातार

20.05.2020

उपरोक्त आदेशानुसार बंदी अभियुक्त की ओर से जमानत बंध-पत्र दाखिल किया गया, जिसे जाँचोपरांत सही पाकर

----- किया जाता है। कार्यालय मुक्ति आदेश निर्गत करे।



लेखापित



पाठक अलोक कौशिक

अपर सत्र न्यायाधीश-षष्ठम्, सुपौल

पाठक अलोक कौशिक

अपर सत्र न्यायाधीश-षष्ठम्, सुपौल